राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 89वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 89वीं बैठक दिनांक 31/10/2019 को 03:00 बजे श्री भोगी लाल सरन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. समीर बाजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. सुश्री संगीता पी., सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1 — **दिनांक 09/10/2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 88वीं बैठक दिनांक 09/10/2019 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 293वीं, 294वीं, 295वीं एवं 296वीं बैठक क्रमशः दिनांक 17/09/2019, 18/09/2019, 19/09/2019 एवं 10/10/2019 की अनुशंसा के आधार पर गौण खनिजों एवं मुख्य खनिजों, परियोजना, कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट तथा औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

निम्नानुसार प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लिया गया:–

1. **मेसर्स श्रीमति गीता देवी देशमुख ब्रिक्स अर्थ माईन, ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 906ए)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37910/2019, दिनांक 19/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, कुल क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खिलेन्द्र कुमार देशमुख, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत आलबरस का दिनांक 22/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1276/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 22/03/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 490/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान क्षेत्रफल 1.38 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्ची सड़क, पूर्व दिशा में 200 मीटर पर तांदुला नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /1794/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 23/02/2019 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /मा. चि./2019/2056 दुर्ग, दिनांक 19/05/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गीता देवी देशमुख, प्रोपराईटर उपस्थित हुई। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **संशोधित उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड क्वारी प्लान ऑफ क्ले (ब्रिक) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 464/खनि लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 26/08/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 4882/खनि 02/उ.प.-अनुनिष्पा./न. क्र.50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता दिनांक 21/02/2020 तक की गई है।
3. निकटतम आबादी ग्राम-आलबरस 0.55 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम-आलबरस 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-निकुम 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। तांदुला नदी 0.14 कि.मी. एवं तालाब 0.66 कि.मी. दूर है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नही होना प्रतिवेदित किया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु किया गया था। वर्तमान में मॉडिफाइड क्वारी प्लान ऑफ क्ले (ब्रिक) के अनुसार ईंट निर्माण ईकाई क्षमता 15,00,000 नग को शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया।
6. जियोलॉजिकल रिजर्व 27,000 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 20,800 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.59 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 2 मीटर बताया गया है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। उत्खनन ओपन कास्ट मैनुअल विधि से किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर होगी। प्रस्तावित स्थाई चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष होगी। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रथम पांच वर्ष की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	1,500	1.0	1,500
द्वितीय वर्ष	1,500	1.0	1,500
तृतीय वर्ष	1,500	1.0	1,500
चतुर्थ वर्ष	1,500	1.0	1,500
पंचम वर्ष	1,500	1.0	1,500

आगामी पांच वर्ष की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे वर्ष	1,500	1.0	1,500
सातवे वर्ष	1,500	1.0	1,500
आठवे वर्ष	1,500	1.0	1,500
नौवे वर्ष	1,500	1.0	1,500
दसवे वर्ष	(1,163+337) 1,500	1.0	1,500

7. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की खपत 7 घनमीटर प्रतिदिन (वृक्षारोपण, डस्ट सप्रेशन हेतु 5.5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग 1.5 घनमीटर प्रतिदिन) है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल से की जाएगी। डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाएगा।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

9. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के चारों तरफ 1 मीटर (0.59 हेक्टेयर) क्षेत्र में 300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा तथा आवेदित स्थल के पूर्वी भाग के 500 वर्गमीटर क्षेत्र में लगभग 150 नग अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाएगा। नदी की तरफ भूमि छोड़ने हेतु निर्देश दिया गया है।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs.39.625	2%	Rs. 0.79	Following activities at Nearby Government School Village-Albaras	
			Rain water harvesting	Rs. 0.50
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 0.80**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

11. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 490 / खनि.लि. 02 / खनिज / 2019 दुर्ग, दिनांक 09 / 07 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान क्षेत्रफल 1.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आलबरस) का रकबा 1.35 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आलबरस) को मिलाकर कुल रकबा 2.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, कुल क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट निर्माण इकाई क्षमता 15,00,000 नग) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31 / 10 / 2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, कुल क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट निर्माण इकाई क्षमता 15,00,000 नग) हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"नदी की ओर वृक्षारोपण के साथ मिश्रित प्रजाति की झाडियां एवं घास (Shrub and Grass) का भी रोपण किया जाए।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स श्रीमती षेरली पोन्नचन डोलोमाईट माईन, ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 917)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 39051 / 2019, दिनांक 11 / 07 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21 / 6 (पार्ट), 21 / 7, 21 / 8 एवं 21 / 9, कुल लीज क्षेत्र 1.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–36,581.25 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई का दिनांक 17/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 41/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 29/04/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.लि.3/ खनिज/न.क्र.168/2019 दुर्ग, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.875 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर एवं पूर्व दिशा में छोटा नहर नाली स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /1765/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 20/02/2019 द्वारा द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि. /2019/2450 दुर्ग, दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के.जे. पोन्नचन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती पेरली पोन्नवन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 4884/खनि 02/उ.प.–अनुविष्ठा/न.क्र.50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि दिनांक 18/02/2020 तक की गई है।
2. निकटतम आबादी ग्राम–पेण्ड्रीतराई 2 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–पेण्ड्रीतराई 2 कि.मी. एवं अस्पताल अहिवारा 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। तालाब ग्राम–पेण्ड्रीतराई 1.5 कि.मी., छोटी नहर नाली 0.052 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 6 कि.मी. दूर है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,41,475 मीट्रिक टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,46,370 मीट्रिक टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.47 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 12,700 घनमीटर एवं गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3.3 वर्ष है। कंट्रोल ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। ड्रिलिंग हेतु वेट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	8,900	2	17,800	44,500
द्वितीय	3,704	2	7,408	44,500
	3,464	3	10,392	
तृतीय	5,933.5	3	17,800	44,500
चतुर्थ	1,710	3	5,130	12,825

5. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 1,050 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
7. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.45	2.0%	Rs. 0.90	Following activities at Nearby Government School Village-Pendritarai	
			Rain water harvesting	Rs. 0.60
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 0.90**

9. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.लि.3/खनिज/न.क्र.168/2019 दुर्ग, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.875 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पेण्ड्रीतराई) को मिलाकर कुल रकबा 12.815 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 1 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

v. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जाए।

3. **मेसर्स विष्णु केमिकल लिमिटेड, ग्राम–भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 485ए)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी2 / 17059/2016, दिनांक 28/04/2017 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 10/07/2019 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 06/09/2016 को इनऑर्गेनिक कम्पाउण्ड एण्ड फाइन केमिकल मेन्युफेक्चरिंग हेतु टीओरआर बाबत आवेदन किया गया था। परियोजना प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 606 दिनांक 03/11/2017 द्वारा प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में वर्तमान में स्थापित इनआर्गेनिक केमिकल्स उत्पादन इकाई क्षमता 8150 टन / वर्ष में अतिरिक्त डायवर्सिफिकेशन कार्यकलाप यथा सेकरिन – 1000 टन/वर्ष एवं सेकरिन सोडियम – 1000 टन/वर्ष कुल उत्पादन (10150 टन/ वर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh" में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में वर्तमान में स्थापित ईकाइयों तथा प्रस्तावित ईकाइयों से होने वाले कुल प्रदूषण भार (दूषित

जल की मात्रा, ठोस अपशिष्ट की मात्रा, हजाड़र्स अपशिष्ट की मात्रा आदि) की गणना एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.वी. राव, वाइस प्रेसीडेन्ट एवं तकनीकी निदेशक मेसर्स के.के.बी. इन्वायरो केयर कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री जयंथी थिरुमलेश उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् स्थापित इनआर्गेनिक उत्पाद की मात्रा में वृद्धि एवं एक अन्य इनआर्गेनिक उत्पाद लिए जाने हेतु आवेदन किया गया है।
2. वर्तमान में स्थापित इनआर्गेनिक कम्पाउण्ड्स (6 इनआर्गेनिक उत्पाद) क्षमता–8,150 टन प्रतिवर्ष से वृद्धि कर इनआर्गेनिक कम्पाउण्ड्स (पूर्व जैसे 6 इनआर्गेनिक उत्पाद) क्षमता–33,500 टन प्रतिवर्ष किया जाना है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल क्षमता–43,650 टन प्रतिवर्ष (6 इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट एवं 2 फाईन कैमिकल्स) किया जाना प्रस्तावित है।
3. स्थापित प्लांट में कुल विनियोग रूपये 59.05 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप का विनियोग 25.2 करोड़ है। कुल विनियोग रूपये 84.25 करोड़ होगा।
4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित उत्पाद तथा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् उत्पादन क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है:–

S. No.	Name of Product	Existing Quantity (TPA)	Additional Quantity (TPA)	Total After Expansion (TPA)	Status
Existing Products with expansion quantity - Inorganic Products (Existing - Regular Products as per consent vide dated 03/10/2017 & valid upto 31/08/2020)					
1.	Sodium Bichromate	5,000	11,000	16,000	Expansion

2.	Basic Chromium Sulphate (BCS)	1,800	16,200	18,000	Expansion
3.	Potassium Bichromate	300	900	1,200	Expansion
4.	Sodium Chromate tetra-hydrate	300	0	300	No Change
5.	Chrome Oxide Green	150	0	150	No Change
6.	Chromic Tri Oxide (Chromic Acid)	600	5,400	6,000	Expansion
EC permitted Fine Chemicals (as per EC order vide date 03/11/2017)					
1.	Saccharin	1,000	0	1,000	No Change
2.	Saccharin Sodium	1,000	0	1,000	No Change
By Products from Inorganic products					
1.	Sodium Bisulphate Solution	2,517	0	0 (as converted to sodium sulphate)	Expansion
2.	Sodium Sulphate	8,452.23	49,071	51,587.8	Expansion
3.	Sodium chloride	333.3	1,000	1,333.3	Expansion

6. **जल उपयोग संबंधी जानकारी** – वर्तमान में परियोजना हेतु 178 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 26 घनमीटर प्रतिदिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त जल की आपूर्ति रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित कर की जाएगी। परियोजना में रिसायकल वॉटर 153 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 357 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु दिनांक 04/01/2018 द्वारा आवेदन किया गया। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 07/08/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी/दस्तावेज हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/08/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमति शीघ्र ही प्राप्त कर ली जाएगी।

7. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 74,331 घनमीटर प्रतिवर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत हार्वेस्टिंग पिट (15 मीटर X 10 मीटर X 5 मीटर) क्षमता 750 घनमीटर एवं स्टोरेज 500 घनमीटर (व्यास 12 मीटर X गहराई 4.5 मीटर) स्थापित है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जाएगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। उक्त कार्य 03 माह के भीतर किया जाना बताया गया।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण** – वर्तमान क्रियाकलापों से कुल 29 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप से अतिरिक्त दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु वर्तमान में स्थापित इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु हस्क फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 10' टीपीएच के साथ 40 मीटर एवं कोल फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 3 टीपीएच के साथ 30 मीटर की चिमनी स्थापित है। मल्टी सायक्लोन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया गया है। चिमनी से पर्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिडकाव की व्यवस्था स्थापित है। परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया है।

10. **ईंधन संबंधी विवरण** – उद्योग में पूर्व से स्थापित हस्क फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 10 टीपीएच हेतु आवश्यक हस्क खपत 50 टन प्रतिदिन एवं स्टेण्डबाई कोल फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 3 टीपीएच हेतु आवश्यक कोल खपत 12 टन प्रतिदिन है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु कोई अतिरिक्त बॉयलर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में स्थापित सिंगल स्टेज इवोपुरेटर (Single stage evaporator) के स्थान पर मल्टीपल इफेक्ट इवोपुरेटर (Multiple effect evaporator), new pre-heater & recuperator स्थापित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उन्नत तकनीक का प्रयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त ईंधन का उपयोग नहीं होगा।

11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन** – वर्तमान में परियोजना से ठोस अपशिष्ट के रुप में सोडियम बाइक्रोमेट 10.987 टन प्रतिदिन जनित होता है। जिसका अपवहन स्वयं के सिक्युर लैण्ड फिल साइट (Secure land fill site) में किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट के रुप में सोडियम बाइक्रोमेट कुल 35.156 टन प्रतिदिन जनित होगा। पूर्व की व्यवस्था ही प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी जारी रखी जाएगी।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Addtiona; Capital Investment (in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	
Rs.25.2	1.0%	Rs. 25.00	Following activities at Nearby Government Schools	
			Rain water harvesting	
			Potable Drinking Water Facility with 3 years AMC	
			Solar Electric system	
			Runnig water facility for wash room	
			Awareness programm regarding Environment	
			Greenery Development	
			Total	**Rs. 25.00**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

13. (i) प्रस्तावित कार्यकलाप में उन्नत तकनीकी के उपयोग, स्थापित एवं प्रस्तावित उन्नत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होगी।

(ii) प्रस्तावित क्षमता विस्तार में उद्योग से शून्य जल निस्सारण व्यवस्था बनायी रखी जाना प्रस्तावित है।

(iii) जल उपभोग की मात्रा में 7,800 घनमीटर प्रतिवर्ष की वृद्धि होना प्रस्तावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में 74,331 घनमीटर प्रतिवर्ष रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करना प्रस्तावित है।

(iv) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसका सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रस्तावित कार्यकलाप से पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–

1. ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार इनआर्गेनिक उत्पादों Inorganic products को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 के अनुक्रम में प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall not increase any solid / liquid/ gases fuel such as coal, furnace oil, diesel etc. in any form as a fuel for the proposed activity.

   ii. Project proponent shall upgrade the air pollution control arrangements of the already installed boiler(s) to ensure outlet dust (particulate matter) emission less than 30 mg / Nm^3 all the time.

   iii. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table within three months.

   iv. Project proponent shall ensure utilization of Spent Chromic Sulphate (Green Liquor) in the production of Basic Chromium Sulphate (BCS) as per proposal.

   v. No ground water shall be used for the proposed activity without prior permission from CGWA. Additional 26 KLD water requirement will be met by the development of rainwater-harvesting system.

   vi. Project proponent shall ensure the disposal of solid wastes (generated from Sodium Bichromate) to its own captive TSDF site as per the

Hazardous and Other Wastes (Management & Transboundary movement) Rules, 2016 and as per the authorization / rules and permission from Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB), Nava Raipur Atal Nagar.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन कर, नोट किया गया कि वर्तमान में परियोजना से ठोस अपशिष्ट 10.987 टन प्रतिदिन जनित होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 35.156 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट जनित होगा। उपरोक्त का अपवहन स्वयं के सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) में किया जाना बताया गया है। सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के संबंध में निम्न तथ्य अस्पष्ट है:–

1. सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के कुल भण्डारण क्षमता बाबत् जानकारी।
2. सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के निर्माण के पश्चात वर्षवार उत्पादन की वास्तविक मात्रा, वर्षवार उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की वास्तविक मात्रा एवं इन ठोस अपशिष्टों के अपवहन संबंधी जानकारी।
3. वर्तमान में इस सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) में कुल कितनी मात्रा में ठोस अपशिष्ट का भण्डारण किया गया है? इस बाबत् जानकारी।
4. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्टों का अपवहन किये जाने पर सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) की संभावित आयु संबंधी जानकारी एवं भविष्य में सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के पूर्ण भराव होने की दशा में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।
5. परियोजना स्थल एवं सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) में बनाए गये पिजोमीटर में ग्राउण्ड वॉटर गुणवत्ता संबंधी जानकारी।

विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण उपरांत अनुशंसा करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही उद्योग को उपरोक्त जानकारियां एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. मेसर्स श्री उमेश शर्मा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 908)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38103/2019, दिनांक 24/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 31/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 316(पार्ट),

317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5, कुल क्षेत्रफल – 1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोडपेण्ड्री का दिनांक 29/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1235/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 12/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 217/खनि.लि.02/ खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 28/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 18.469 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि जानकारी में उल्लेखित उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी आशय पत्र की सूची के क्रमांक 1 मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर, को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कच्चा रास्ता, नाला एवं तालाब स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019, दुर्ग दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. फॉर्म–1, फॉर्म–1एम एवं अन्य दस्तावेजों में खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5 का उल्लेख किया गया है, जबकि कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में खसरा क्रमांक 316, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5 एवं 326 का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/3773 दुर्ग, दिनांक 29/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु दिनांक 05/09/2019 को आवेदन किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 317/5 के स्थान पर खसरा क्रमांक 318/5 का उल्लेख हो गया है। अतः खनिज विभाग के आशय पत्र में वर्णित खसरा क्रमांक 316, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5 एवं 326, कुल क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर को खसरा क्रमांक 316, 317/1(पार्ट), 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 317/5, कुल क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर माना जाए।
4. निकटतम आबादी ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल फुण्डा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं नहर 2 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. जियोलॉजिकल रिजर्व 5,16,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,93,860 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.465 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 16,872 घनमीटर एवं गहराई 1.5 मीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्वीकृत लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा की ओर स्थित स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 317/1(पार्ट) तथा खसरा क्रमांक 317/3(पार्ट) पर आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी डम्प की जाएगी। खदान की संभावित आयु 6.5 वर्ष है। वेट ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000	3	18,000	45,000
द्वितीय	6,000	3	18,000	45,000
तृतीय	6,000	3	18,000	45,000
चतुर्थ	6,000	3	18,000	45,000
पंचम	6,000	3	18,000	45,000
छटवे	6,000	3	18,000	45,000
सातवे	920	3	8,920 (2,760+6,160)	22,300
	6,160	1		

7. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर एवं बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
10. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 31	2%	Rs. 0.62	Following activities at Nearby Goverment School Village-Gondpendri	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 0.70**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 217/खनि.लि. 02/ खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 28/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 18.469 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि जानकारी में उल्लेखित उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी आशय पत्र की सूची के क्रमांक 1 मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर, को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है। आवेदित खदान (ग्राम–गोडपेण्ड्री) का रकबा 1.59 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोडपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 18.469 हेक्टेयर (श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी

का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर को छोड़कर) है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये:–

i. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.

ii. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photograph.

iii. Project proponent shall submit copy of extended LOI letter.

iv. Project Proponent shall submit the proposal for safe storage of top soil within mine lease area.

v. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detail estimates.

ix. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

5. **मेसर्स श्री विकास अग्रवाल लाईम स्टोन माईन, ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 934)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40484/2019, दिनांक 02/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग खसरा क्रमांक 1987/2(पार्ट), 1987/3(पार्ट) एवं 1987/4(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 57,754 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 24/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 195/खनि.लि/खनिज/2019, बालोद दिनांक 07/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 206/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 5.64 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर दिशा में बरसाती नाला, पूर्व दिशा में कच्चा रास्ता स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1796/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 23/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2019/2449 दुर्ग, दिनांक 06/06/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुज किया गया। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 4886/खनि 02/उ.प.–अनुविभा./न.क्र.50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि दिनांक 21/02/2020 तक की गई है।

2. निकटतम आबादी ग्राम–धौराभाठा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–धौराभाठा 2 कि.मी. एवं अस्पताल सेलुद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। नाला 0.6 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 9,38,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,17,300 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.49 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोडा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौडाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। बेट ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000	1.5	15,000	35,625
	5,400	1.5	8,100	19,238
द्वितीय	5,800	1.5	8,700	20,663
	9,600	1.5	14,400	34,200
तृतीय	14,100	1.5	21,150	50,233
	1,300	1.5	1,950	4,633
चतुर्थ	12,100	1.5	18,150	43,108
	3,300	1.5	4,950	11,758
पंचम	9,400	1.5	14,100	33,488
	6,000	1.5	9,000	21,375

आगामी पांच वर्षो की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे	2,900	1.5	4,350	10,333
	2,600	1.5	3,900	9,263
	2,400	1.5	3,600	8,550
	2,200	1.5	3,300	7,838
	2,000	1.5	3,000	7,125
	18,000	1.5	2,700	6,413
सातवे	6,000	1.5	9,000	21,375
	9,400	1.5	14,100	33,488
आठवे	4,300	1.5	6,450	15,320
	11,100	1.5	16,650	39,545
नौवे	1,900	1.5	2,850	6,770
	12,000	1.5	18,000	42,750
	3,700	0.5	1,850	4,395
दसवे	3,300	0.5	1,650	3,920

5. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टेंकर एवं बोरवेल की से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही कुल 1,350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
7. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
8. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 57.50	2%	Rs. 1.15	Following activities at Nearby Goverment School Village-Dhaurabhatha	
			Rain water harvesting	Rs. 0.70
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.45
			Total	**Rs. 1.15**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 206/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 5.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धौराभाठा) का रकबा 2.68 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धौराभाठा) को मिलाकर कुल रकबा 8.32 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये:–

i. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.

ii. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photograph.

iii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detail estimates.

vii. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

6. मेसर्स श्री सुनील कुमार अग्रवाल (लवाकेरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 868)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35985/2019, दिनांक 14/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 एवं 03/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/07/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1157/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर शासकीय भूमि में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 52,115.7 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्डिनरी स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लवाकेरा का दिनांक 05/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 104/खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 12/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थल नहीं है।

5. उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रभारी अधिकारी कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 1561/खनि.शा./2018 जशपुर, दिनांक 03/12/2018 द्वारा जारी किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./मा.चि./2018/9998 जशपुर, दिनांक 05/11/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–लवाकेरा 1.8 कि.मी., प्राइमरी स्कूल लवाकेरा 1.8 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। तालाब 0.6 कि.मी. एवं ईब नदी 3.6 कि.मी., सिरमुण्डा एवं खुराई आरक्षित वन 1 कि.मी. दूर स्थित है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,56,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 96,688 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.304 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,483 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	6,959	1.5	52,115.7
	6,404	1.5	
द्वितीय	5,867	1.5	43,738.5
	5,348	1.5	

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 760 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. अनुमोदित क्वारी प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमित जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 488/खनिज /2019 अम्बिकापुर, दिनांक 02/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 30	2%	Rs. 0.6	Following activities at Nearby Government primary School Village-Lawakera	
			Rain water	Rs. 0.40

			harvesting	
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.18
			Running tap water arrangement for toilet	Rs. 0.02
			Total	**Rs. 0.60**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   - **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   - **b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 104/खनि. शा./2019 जशपुर, दिनांक 12/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–लवाकेरा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1157/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, आर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–52,115.7 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1157/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, आर्डिनरी

स्टोन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–52,115.7 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. **मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक पार्क (सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड), ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 949)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 116563/ 2019, दिनांक 02/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197, ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल – 9.531 हेक्टेयर (95,310 वर्गमीटर) में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या, क्षेत्रफल का विवरण एवं वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी डुमरतराई 0.2 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल 0.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम नदी खारुन नदी 8.2 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है।

2. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन लगभग 600 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement		Details (m^2)
1.	Total Land Available		95,310
2.	Area under road (Raipur - Abhanpur road)		2052.22
3.	Net land area		95,257.78
4.	Permissible ground coverage (50% of S.No.3)		46,628.89
5.	Open Area (10% of S.No.3)		9,325.77
6.	Permissible BUA {(FAR = 2.5) =2.5 of S.No.3)}		2,33,144.45
7.	Proposed Ground Coverage (41.13% S.No.3)		38,355.48
8.	Proposed Open Area		9,526.56
9.	Proposed Built-up Area		49,056.62
	Regularized BUA	14,906.99 m^2	
	Proposed BUA	34,149.63 m^2	
10.	Road Area		34,899.24
11.	Parking Area		10,476.50

4. **विकास अनुज्ञा –**

i. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/6374/नग्रानि/पीएल–149/2009, रायपुर दिनांक 23/10/2009 द्वारा कुल भूमि 9.531 हेक्टेयर (निर्मित क्षेत्र 5058 वर्गमीटर) के वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

ii. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/21626/नग्रानि/अ.निय.प्र.क.15136/2018, रायपुर दिनांक 09/10/2018 द्वारा कुल भूमि 9.531 हेक्टेयर (निर्मित क्षेत्र 14906.99 वर्गमीटर) के गैर–आवासीय (वाणिज्यिक) प्रयोजन अंतर्गत नियमितिकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

iii. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/23586/नग्रानि/धारा–30'क'/पीएल–32/2018, रायपुर दिनांक 26/12/2018 द्वारा कुल भूमि 9.531 हेक्टेयर (निर्मित क्षेत्र 49056.62 वर्गमीटर) के वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

5. **भवन निर्माण अनुज्ञा** – कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, छ.ग के ज्ञापन क्रमांक 46485, दिनांक 30/01/2019 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय की गई है।

6. **अग्निशमन सुरक्षा** – नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 329/752/फा.स./एन.ओ.सी./2019, अटल नगर रायपुर दिनांक 24/05/2019 द्वारा अग्नि सुरक्षा नवीनीकरण प्रमाण पत्र 01 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया गया है।

7. **बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट** –

S. N.	Particulars	Built-up Area [m^2]		
		Regularized	Proposed	Total
1	Block – A	---	5410.96	5410.96
2	Block – B	1486.98	---	1486.98
3	Block – B 1	---	6432.46	6432.46
4	Block – C	---	8179.49	8179.49
5	Block – D	---	2683.24	2683.24
6	Block – D 1	---	8587.54	8587.54
7	Block – E [commercial]	13420.01	---	13420.01
8	Block – F	---	1270.06	1270.06
9	Block – G	---	354.06	354.06
10	Block – H	---	1231.82	1231.82
Total Area		**14906.99**	**34149.63**	**49056.62**

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु थ्री बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल घरेलु ठोस अपशिष्ट की मात्रा 150 किलोग्राम प्रतिदिन होगी, जिसे नगर पालिक निगम, रायपुर को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उद्यानिकी संबंधी (बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट) ठोस अपशिष्ट 0.70 किलोग्राम प्रतिदिन होगी। जिसे ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर के माध्यम से खाद बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही परिसर को पूर्ण रुप से प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 33 किलोलीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 18 किलोलीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 15 किलोलीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर पालिक निगम, रायपुर से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – प्रतिदिन 16 किलोलीटर दूषित जल उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 30 किलोलीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस चेंबर, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज होल्डिंग टैंक

एवं प्रेसर सेण्ड फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। Dual Plumbing System स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 15 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर उद्यानिकी हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज की मात्रा 1 किलोग्राम प्रतिदिन होगी, जिसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः परियोजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 70,020 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24 नग वेल (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किये जाएगें। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **विद्युत खपत** – परियोजना में 2,400 किलोवाट विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। परिसर में सडको पर प्रकाश हेतु सोलर एल.ई.डी. लगाया जाना प्रस्तावित है एवं कॉमर्शियल एरिया तथा लॉबी एरिया के आंतरिक सभी स्थानों पर एल.ई.डी. का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

12. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका का विकास 11,527 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 12.36 प्रतिशत) में करना प्रस्तावित है।

13. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया गया है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की छत में सोलर पैनल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (Rs. in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in Lakhs)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakhs)	
			Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Lakhs)
19.86	1%	19.86	Following Activities at Govt. Nagarjuna P.G. Science College at	

			Raipur	
			Rain Water Harvesting	10.11
			Following Activities at Govt. (Late Mintoo Sharma) Higher Secondary School Dumartarai	
			Rain Water Harvesting	4.06
			Solar Lighting System	3.50
			Potable Drinking Water Facility	0.80
			Environmental Education & Awareness Program	1.50
			Total	**19.97**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197 में क्षेत्रफल – 95,257.78 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197 में क्षेत्रफल – 95,257.78 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. **मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चरोदा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र फेज–2 के समीप, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 759)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 89304/ 2018, दिनांक 21/12/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–चरोदा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र फेज–2 के समीप, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 4.09 एकड़ में बिलेट्स, एम.एस. रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्जिंग सिस्टम) क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से 57,670 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग कुल रुपये 14.78 करोड़ होगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपये 7.5 करोड़ प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 265वीं बैठक दिनांक 07/01/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई थी कि पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में समिति की दिनांक 08/01/2019 अथवा 09/01/2019 को आयोजित बैठक में परियोजना प्रस्तावक को उपस्थित होने के संबंध में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/12/2018 द्वारा सूचित किया गया था।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त पत्राचार के आधार पर तथ्यात्मक जानकारियां/दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 08/01/2019 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 266वीं बैठक दिनांक 08/01/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष सिंह, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वॉयरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा बिलेट, एम. एस. री–रोल्ड प्रोड्क्ट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 05/02/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 30/11/2019 तक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम आबादी ग्राम–चरोदा 1.3 कि.मी. एवं रायपुर शहर 11.05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन मांढर 7.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. है। खारून नदी 2.05 कि.मी. की दूरी पर है।

- परियोजना स्थल से दक्षिण दिशा की ओर मेसर्स ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड 230 मीटर, मेसर्स रश्मि स्पंज ऑयरन एण्ड पॉवर 510 मीटर एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड 1.15 कि.मी., पश्चिम दिशा की ओर मेसर्स एस.के.एस. इस्पात लिमिटेड 450 मीटर, दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर मेसर्स भगवती पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड 1.45 कि.मी. एवं मेसर्स श्री हरिकृष्णा स्पंज ऑयरन लिमिटेड 2.05 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छ.ग. के ज्ञापन क्रमांक 2373, दिनांक 24/04/2008 द्वारा विकास अनुज्ञा प्राप्त किया गया।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल कंसट्रक्टेड क्षेत्रफल 1.03 एकड़, रोड का क्षेत्रफल 0.69 एकड़, खुला क्षेत्रफल 0.97 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 1.4 एकड़ है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 4.09 एकड़ है।

5. **रॉ–मटेरियल** –

Induction Furnaces		
Raw Material	**Ton / Day**	**Mode of Transportation**
Sponge Iron	175	By road through coverd trucks
Pig Iron / Scraps	52	By road through coverd trucks
Ferro Alloys	2	By road through coverd trucks
Rolling Mill to produce 57,670 TPA Rolled product		
Hot Billets	198	Through Rail

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S.N.	Process Plant	Existing Configuration	Proposed Configuration	After expansion
1.	Induction Furnace Produce to Hot Metal	6 Tons x 2 Nos.	10 Tons x 1 No.	6 Tons x 2 Nos. + 10 Tons x 1 No. Or 59,400 TPA
2.	Rolling Mill Produce to Rolled Products	29,500 TPA (2 Strands)	28,170 TPA (2 Strands)	57,670 TPA (4 Strands)

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा गया है। **प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।** ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु

जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप से एण्ड कटिंग – 4.3 टन प्रतिदिन, स्लेग – 24 टन प्रतिदिन एवं मिल स्केल – 1.4 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। एण्ड कटिंग को स्वयं के इंडक्शन फर्नेस में उपयोग किया जाएगा। स्लेग को निकटतम स्लेग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज इकाईयों, कास्टिंग इकाईयों एवं पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 22 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 40 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 36 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। क्षमता विस्तार उपरांत भी यही व्यवस्था अपनायी जाएगी। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – घरेलु दूषित जल की मात्रा 3.2 घनमीटर प्रतिदिन है। जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी गई है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8.684 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाएगा। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 4.68 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित सक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट

मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किए जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.528 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 4,543 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् कुल 8,932 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार के पश्चात् (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 6,000 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता डी.जी. सेट स्थापित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में 50 नग पौधे रोपित है। परिसर के चारों हरित पट्टी के विकास हेतु लगभग 1.4 एकड़ (34 प्रतिशत) क्षेत्र में अप्रैल, 2019 तक 1,400 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मई, 2019 तक आंतरिक मार्गों को सीमेंट रोड में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

14. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण "उद्योग की स्थापना से आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण भार बढ़ने अथवा न बढ़ने के संबंध में" छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण "उद्योग की स्थापना से आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण भार बढ़ने अथवा न बढ़ने के संबंध में" छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/अभिमत का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. अभिमत में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

"माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

2. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आदेश:-

i. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_ Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_ Wn_Ln

ii. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:-

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन. जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर से प्राप्त अभिमत के आधार पर आवेदित प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. **मेसर्स दादू स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम–गिरौद, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 781)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 98496/2019, दिनांक 26/04/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–गिरौद, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 450/2, 456 एवं 452/7, कुल क्षेत्रफल – 1.285 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (6 टन गुणा 2 नग) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से स्टील इंगाट्स/बिलेट्स (10 टन गुणा 1 नग) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 6.99 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 4.5 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 15/05/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 278वीं बैठक दिनांक 15/05/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमीत अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेयोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से स्टील इंगाट्स क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं

वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 09/05/2019 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/04/2022 तक वैध है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–गिरौद 0.62 कि.मी., ग्राम–धनेली 1.15 कि.मी. एवं शहर रायपुर 2.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन मांढर 3.4 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.6 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.25 कि.मी. है। खारून नदी 7.3 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.7 कि.मी. है।

- परियोजना स्थल से उत्तर दिशा में 1.1 कि.मी. की दूरी पर मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड एवं उत्तर–पश्चिम दिशा में 3.2 कि.मी. की दूरी पर सिलतरा इण्स्ट्रीयल एरिया स्थित है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** कुल क्षेत्रफल – 1.933 हेक्टेयर है, जिसमें से शेड एवं बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर, रोड एवं अन्य का क्षेत्रफल 0.879 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल – 0.879 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में त्रुटिवश कुल क्षेत्रफल – 1.285 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया, जबकि कुल भूमि 1.933 हेक्टेयर है। अतः कुल भूमि 1.933 हेक्टेयर मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को समिति द्वारा मान्य किया गया।

5. **रॉ–मटेरियल** – वर्तमान में स्टील मेल्टिंग में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 90 टन प्रतिदिन, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 22 टन प्रतिदिन एवं फेरो एलॉयज – 1 टन प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् स्टील मेल्टिंग में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 170 टन प्रतिदिन, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 50 टन प्रतिदिन एवं फेरो एलॉयज – 2 टन प्रतिदिन का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing	Proposed
Steel Ingots/Billets (Induction Furnace)	30,000 TPA (6 Tons X 2 Nos.)	29,400 TPA (10 Tons X 1 No.)

* वर्तमान में 6 Tons X 2 Nos. इण्डक्शन फर्नेस से 30,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 10 Tons X 1 No. इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना किया जाना बताया गया है।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस को सक्सन हुड से पूर्व स्थापित चिमनी से संलग्न किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में स्टील मेल्टिंग से स्लेग – 12 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 22 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को निकटतम स्लेग क्रशिंग युनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 30 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 22 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिए जाने बाबत् आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 2.4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय

भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरुप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,919 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य आगामी 04 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3,060 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1,980 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 3,600 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 6,600 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – आवश्यक विद्युत की जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट उपयोग किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.64 एकड़ (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 1,200 नग पौधे रोपित किए गए है।

13. उद्योग परिसर के आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण दिनांक 30/06/2019 तक किए जाने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 450	1%	Rs. 4.5	Running Water Supply For Sanitation Facility, Rain Water Harvesting at Premises of Government School of Village-Giroud.	Rs. 4.5
			Total	**Rs. 4.5**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
2. स्थापित कार्यकलाप में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कोई उल्लंघन विगत एक वर्ष में किया गया हो, तो इस बाबत् जानकारी एवं निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/अभिमत का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. अभिमत में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

2. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आदेशः–

i. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

ii. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर से प्राप्त अभिमत के आधार पर आवेदित प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स महेन्द्रा स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 851)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 104154/2019, दिनांक 02/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक पार्ट ऑफ 3 एवं पार्ट ऑफ 4, कुल क्षेत्रफल – 1.596 हेक्टेयर (4 एकड) में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 18,000 टन प्रतिवर्ष से 59,904 टन प्रतिवर्ष, स्थापित रोलिंग मिल क्षमता – 28,500 टन प्रतिवर्ष से हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 10.41 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 20 करोड होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 16/05/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 279वीं बैठक दिनांक 16/05/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि आवेदन में हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष का त्रुटिवश उल्लेख किया गया है। वास्तव में वर्तमान में दो पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 2,500 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट एवं 7,000 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट स्थापित एवं संचालित है।
2. प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 2,500 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट को संचालित किया जाकर 7,500 टन प्रतिवर्ष तथा पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 7,000 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट को हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 50,660 टन प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रकार रोलिंग मिल कुल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष होगी।
3. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से एम.एस. इंगाट एवं बिलेट्स क्षमता – 18,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता – 9,500 टन प्रतिवर्ष प्रतिशिफ्ट हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण क्रमशः दिनांक 31/03/2018 एवं 29/12/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैधता क्रमशः दिनांक 31/03/2020 एवं 31/12/2020 तक है।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–सरोरा 0.55 कि.मी., ग्राम–सोनडोगरी 1.1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 6.4 कि.मी. एवं छोटा नाला 0.84 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** कुल क्षेत्रफल – 1.596 हेक्टेयर है, जिसमें से बिल्डिंग एवं शेड का क्षेत्रफल 0.617 हेक्टेयर, रोड एवं अन्य का क्षेत्रफल – 0.444 हेक्टेयर एवं हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 0.535 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा।

6. **रॉ–मटेरियल** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 16,848 टन प्रतिवर्श, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 4,680 टन प्रतिवर्श एवं फेरो एलॉयज – 312 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 53,040 टन प्रतिवर्श, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 15,000 टन प्रतिवर्श एवं फेरो एलॉयज – 600 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप बिलेट्स/इंगाट्स – 30,000 टन प्रतिवर्श एवं कोल – 3,120 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट बिलेट्स – 59,904 टन प्रतिवर्श एवं कोल – 1,248 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Product	Existing (In TPA)	After Proposed Expansion (In TPA)
1.	Induction Furnaces	18,000 (6 T x 1 No.)	59,904 (8 T x 3 Nos. by converting existing 6 T x 1 No. to (8 T x 1 No. +8 T x 2 Nos.)
2.	Rolling Mill (TMT / Wire / Angle / Channel / Steel Structures / Patra)	28,500 (2,500 T/ Y/ Shift + 7,000 T/ Y/ Shift)	50,660 (Hot Charged)
			7,500 (thourgh existing pulverized coal rolling mill of capacity 2,500 T/ Y/ Shift)

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेसेस को सक्शन हुड से पूर्व स्थापित चिमनी से संलग्न किया जाएगा। वर्तमान में पल्वराईज्ड कोल

आधारित रोलिंग मिलों में रीक्युपरेटर, स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है, इसमें स्थापित स्क्रबर की क्षमता /दक्षता वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल एवं ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 8 टन प्रतिदिन, रोलिंग मिल से मिल स्केलस – 0.6 टन प्रतिदिन, एण्ड कटिंग – 1.5 टन प्रतिदिन तथा ऐश – 4.5 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेसेस से स्लेग – 24 टन प्रतिदिन, रोलिंग मिल से मिल स्केलस – 3.9 टन प्रतिदिन, एण्ड कटिंग – 1.7 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। एण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस के रूप में उपयोग किया जाएगा। मिल स्केल को निकटतम कास्टिंग युनिट्स/पैलेट प्लांट एवं फेरो एलॉयज मैन्युफेक्चरिंग युनिट्स को विक्रय किया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 23 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग रोलिंग मिल हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 35 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग रोलिंग मिल हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 18/05/2018 द्वारा 110 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8983 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 2 नग रूफ टॉप रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य आगामी 04 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषको के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7.74 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.276 टन प्रतिवर्ष होगी। साथ ही प्रतिवर्ष कोल खपत में 1,872 टन की कमी होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 14.6 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 29.6 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) प्रतिवर्ष कोल खपत में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.33 एकड़ (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 100 नग पौधे रोपित किए गए है। शेष वृक्षारोपण का कार्य मानसून तक किया जाना बताया गया है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 2000	1%	Rs. 20	Potable Drinking Water Facility, Rain Water Harvesting, Running Water Facility for Toilets, Solar Electrification for Fans of classrooms at Government School Village-Sarora	Rs. 20
			Total	**Rs. 20.00**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
2. स्थापित कार्यकलाप में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कोई उल्लंघन विगत एक वर्ष में किया गया हो, तो इस बाबत् जानकारी एवं निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. संशोधित ले–आउट प्लान (डायमेंशन सहित) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है। अभिमत उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/अभिमत का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. अभिमत में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

   "माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

2. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आदेश:-

   i. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

   ii. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:-

   "Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to' 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन. जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर से प्राप्त अभिमत के आधार पर आवेदित प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 638)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 28604/ 2017, दिनांक 07/08/2018। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् दिनांक 31/05/2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट की स्थापना हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। स्थापित सीमेंट प्लांट के कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2017 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 07/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट, कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति को प्रस्तुत जानकारी का तत्समय परीक्षण किया एवं पाया गया कि उद्योग द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य के द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण किया जाए एवं समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार एवं परियोजना प्रस्तावक का पक्ष सुनने के बाद तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 07/07/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

(ब) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22/07/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–
   - EC No. 461/AEIAA C.G/Plant/Janjgeer-Champa/638 Atal nagar Dated 12-02-2019.
   - Proposed site for chimney/Boiler/Turbine for which EC was granted has been changed to new site by the client. As mentioned by the client, proposed site and new site both are within the boundary of Nuvoco Cement Plant, Arasmeta, on the same Khasra numbers mentioned in the proposal for EC.
   - Proposed site and new site are approximately 200 meters apart (Annexure-I & Annexure-II).
   - On the proposed site a high tension power line is passing through the plot (Annexure-III).

- On the new site client has done site clearance and some part of foundation work (Annexure-IV), as mentioned in the report of the R.O. (CECB), Bilaspur, dated 07.03.2019 (Annexure-V). As per client, no further construction activity was continued after the visit of R.O. (CECB), Bilaspur. At present no construction is going on.
- On the new site material & components procured for establishment of proposed power plant was also found to be dumped (Annexure-VI).

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय त्यागी एवं आर.सी. पाठक तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स बी.एस. इन्वाय–टेक प्राईवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद की ओर से श्री वाय.बी.एस. मुर्थी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 के साईट–1 के स्थान पर साईट–2 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में साईट–1 के ऊपर से हाई टेंशन लाईन जाने के कारण उपरोक्त खसरा क्रमांक के अंतर्गत ही साईट–2 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य किया जाना है। वर्तमान में स्थापना का कार्य बंद है।
3. पूर्व में निर्धारित स्थल दक्षिण–पूर्व दिशा साईट–1 से वर्तमान में चयनित स्थल दक्षिण दिशा साईट–2 की दूरी 180 मीटर है। वर्तमान में चयनित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होना बताया गया है।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/03/2019 द्वारा कार्य बंद करने के निर्देश के आधार पर ही कार्य तत्समय बंद करना बताया गया है।
5. उपसमिति द्वारा भी उपरोक्त स्थितियों से समिति को अवगत कराया गया।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्ण तैयारी नहीं होने के कारण, प्रस्तुतीकरण के लिए अन्य तिथि प्रदान की जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफस के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आरिफ अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री राजीव रंजन, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरंभ किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य हेतु दिनांक 18/02/2019 एवं इसके बाद दिनांक 07/03/2019 तक प्लांट के मेसरमेंट बुक (Measurement Book) की प्रति एवं रेडोमिक्स कांक्रीट (Redomix Concrete) के लिए चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रतियों से इंगित होता है कि स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरम्भ किया गया।

3. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में प्रदर्शित डिस्प्ले बोर्ड पर 1 गुणा 18 मेगावाट दर्शाया गया है, जबकि आवेदित प्रकरण की क्षमता 1 गुणा 20 मेगावाट है, जिसके लिए एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स आवेदित प्रकरण के स्थापना स्थल (Construction area) का नहीं है।

4. भूमि वर्ष 1982–83 से उद्योग के आधिपत्य में है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4334, दिनांक 13/11/2017 द्वारा डब्ल्यु.एच.आर.बी. आधारित पावर प्लांट – 7 मेगावॉट की अनुमति प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर सिविल फाउंडेशन वर्क (Civil Foundation Work) का कार्य किया जा रहा है।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से बिना स्थापना सम्मति प्राप्त किए निर्माण कार्य आरंभ करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 द्वारा अध्यक्ष, समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए, जिसमें निम्न उल्लेख है:–

   "For Industries requiring EC, issuing of consent by SPCBs/PCCs shall be one step process and EC will be deemed as CTE in such cases. SPCBs/PCCs shall be involved in the process of granting of EC."

   उक्त निर्देश से भ्रांति (Confusion) होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत जल एवं वायु स्थापना सम्मति नहीं प्राप्त की गई।

6. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि उक्त निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्देश से भ्रम की स्थिति निर्मित होना संभव है।

7. ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम पंचायत मुलमुला एवं ग्राम पंचायत अर्जुनी के सरपंचों द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्ति दिनांक 27/06/2019 के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई है।

8. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 29/07/2019 को पंचायतों द्वारा पूर्व में की गई शिकायत को पुनः संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उद्योग द्वारा केप्टिव पॉवर प्लांट के पूर्व में निर्धारित स्थल साईट-1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट-2 (प्रस्तावित स्थल) के ले-आउट एवं खसरे का विवरण पटवारी से पुष्टिकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित स्थल साईट-1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट-2 का अक्षांश (Latitude) एवं देशांश (Longitude) का मापन किया जाए।
3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य के द्वारा प्राप्त शिकायतों के परिपेक्ष्य में उद्योग स्थल का निरीक्षण एवं शिकायतों की जॉच की जाएगी। जॉच में शिकायतकर्ताओं का भी पक्ष सुना जाए। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/08/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 08/09/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

(इ) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16/09/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-
   i. The latitudes & longitudes of original sites and proposed site of 20 MW coal based captive power plant were verified and found to be within boundary limits (the details are enclosed here with).
   ii. The Sub-committee wanted to interact with Sarpanch of Villages- Mulmula, Arjuni and Parsada. They were called at regional office of CECB Bilaspur (C.G.). Mr. Upendra Singh of Mulmula, Smt. Kavita Bai of Arjuni and Smt. Mathura Verma of Parsada, all the sarpanch came at R.O. Office.
   iii. Sub-Committee wanted to discuss their submissions and to interact with them but Shri Devendra Singh, Brother of Mulmula Sarpanch (Mr. Upendra Singh) who accompanied them, was adamant that only he will represent all the issues.It was not allowed by the Sub-committee.

Subsequently all of them left the office without interacting with the Sub-committee.

iv. उपसमिति द्वारा निम्नानुसार निर्देशांक पाए गये:

GPS Coordinates of Proposed Location for which EC was granted vide letter dated 12/02/2019

a) Latitude - 21°57'57.07" N , Longitude – 82°21'19.56" E

b) Latitude - 21°58'8.59" N , Longitude – 82°21'19.93" E

c) Latitude - 21°58'8.87" N , Longitude – 82°21'14.28" E

d) Latitude - 21°57'58.13" N , Longitude – 82°21'14.01" E

GPS Coordinates of Proposed Location for which EC amendment is sought

a) Latitude - 21° 57'57.10" N , Longitude – 82° 20'59.61" E

b) Latitude - 21°58'0.62" N , Longitude – 82° 20'59.71" E

c) Latitude - 21° 58'0.64" N , Longitude – 82° 21'7.45" E

d) Latitude - 21° 57'56.97" N , Longitude – 82° 21'7.16" E

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया था:–

शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुना जाना आवश्यक है। अतः उपसमिति द्वारा शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग के ज्ञापन दिनांक 19/09/2019 द्वारा शिकायतकर्ताओं को अपना पक्ष रखने एवं शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनने हेतु (दिनांक 26/09/2019 को अपरान्ह 01:00 बजे) उपसमिति को ज्ञापन प्रेषित किया गया।

उपसमिति के सदस्य डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, डॉ. दीपक सिन्हा एवं श्री भोसकर विलास संदिपान शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनने हेतु दिनांक 26/09/2019 को अपरान्ह 01:00 बजे उपस्थित हुए।

(ई) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपसमिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "उपसमिति द्वारा अपरान्ह 03:00 बजे तक शिकायतकर्ताओं की प्रतीक्षा की गई। उपसमिति के समक्ष उक्त शिकायतों के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु कोई भी शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ।

   इससे यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ताओं के पास शिकायत के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई भी प्रमाणित तथ्य (Content) नहीं हैं एवं उनके द्वारा केवल समिति का समय व्यर्थ किया जाकर, भ्रम में रखा जा रहा है। अतः उपसमिति का मत है कि शिकायतकर्ताओं को अपना पक्ष रखने हेतु पुनः अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।"

2. कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में स्थापना कार्य बंद है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के पूर्व में निर्धारित स्थल तथा वर्तमान में चयनित स्थल के ले–आउट एवं खसरे का विवरण पटवारी के पुष्टिकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 13/09/2019 द्वारा प्रस्तुत पत्र का अवलोकन किया गया।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित स्थल तथा वर्तमान में चयनित स्थल सीमेंट प्लांट परिसर के भीतर में ही स्थित है। जो कि उद्योग के स्वामित्व में है।

6. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के Circular No.J11013/41/2006-IA.II(I) दिनांक 22/10/2010 द्वारा "Consideration of proposals relating to change in loaction after public hearing has been held or after environment clearance has been accorded-procedure to be followed - Regarding." का भी अवलोकन किया गया।

7. पूर्व में निर्धारित स्थल (दक्षिण–पूर्व दिशा) के ऊपर से हाई टेंशन लाईन जाने के कारण दक्षिण दिशा में 180 मीटर की दूरी में नये स्थल का चयन किया गया है। यह स्थल विस्थापना सूक्ष्म है तथा इसके कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

8. स्थल विस्थापन से परियोजन से प्रभावित लोगो, ई.आई.ए अध्ययन क्षेत्र, पर्यावरण सेटिंग (Environment Setting) एवं इम्पेक्ट जोन (Impact Zone) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के स्थान पर निम्न अक्षांश एवं देशांश हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:–

a) Latitude - 21° 57'57.10" N , Longitude – 82° 20'59.61" E

b) Latitude - 21°58'0.62" N , Longitude – 82° 20'59.71" E

c) Latitude - 21° 58'0.64" N , Longitude – 82° 21'7.45" E

d) Latitude - 21° 57'56.97" N , Longitude – 82° 21'7.16" E

i. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य 06 माह में पूर्ण कर, कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में विनिर्दिष्ट शर्तें यथावत रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

12. मेसर्स हनुमंत एलॉयज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 881)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36857/ 2019, दिनांक 27/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित प्लाट क्रमांक 657, कुल क्षेत्रफल – 3.95 हेक्टेयर (9.76 एकड) में स्थापित डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) से 16,500 टन प्रतिवर्ष (Increase in the no. of days from 300 to 330 days), न्यू डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 125 टन प्रतिदिन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 11 करोड है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019:

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 22/07/2019 द्वारा सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती /अनुरोध पत्र एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अनुरोध किया गया कि अक्टूबर माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को अक्टूबर माह की आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमीत अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–हरदी 1.1 कि.मी., बिलासपुर शहर 3 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन बिलासपुर 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. है। अरपा नदी 4.8 कि.मी. एवं गोकेना नाला 0.4 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग वर्ष 2013–14 से बंद है। वर्तमान में उद्योग का नाम मेसर्स शकुन स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। जिसे क्रय किए जाने के लिए अनुबंध किया गया है। वर्तमान में उद्योग का नाम परिवर्तन हेतु डी.आई.सी. एवं भूमि हस्तांतरण के लिए सी.एस.आई.डी.सी. में आवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेज फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर दी जाएगी।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** कुल क्षेत्रफल – 9.76 एकड़ है, जिसमें से प्लांट का क्षेत्रफल 3 एकड़, रॉ–मटेरियल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 1 एकड़, प्रोडक्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.6 एकड़, सॉलिड वेस्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.36 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 1 एकड़, वॉटर रिर्जवायर एवं आर.डब्ल्यू. एच. का क्षेत्रफल 0.1 एकड़ एवं पार्किंग का क्षेत्रफल 0.3 एकड़ तथा हरित

पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 3.4 एकड़ (34.8 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाएगा।

4. **रॉ–मटेरियल** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् डीआरई किल्न में रॉ–मटेरियल के रूप में आयरन ओर – 66,000 टन प्रतिवर्ष, इण्डियन कोल – 53,625 टन प्रतिवर्ष, इम्पोर्टेड कोल – 37,125 टन प्रतिवर्ष एवं डोलोमाईट – 2,000 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन रेल एवं सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing Plant	Proposed Expansion
DRI Kiln (Sponge Iron)	1 X 50 TPD (15,000 TPA)	1 X 50 TPD (15,000 TPA To 16,500 TPA by increase in the no. of days from 300 to 330 days)
		1 X 125 TPD (41,250 TPA) Total production = 57,750 TPA

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्पंज आयरन इकाई (1 X 50 TPD) से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वॉटर स्क्रबर स्थापित है। पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से स्पंज आयरन इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु स्पंज आयरन इकाई (1 X 125 TPD) से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में स्पंज आयरन प्लांट से डोलोचार – 15 टन प्रतिदिन, ऐश – 9 टन प्रतिदिन, वेट स्क्रैपर स्लज – 2.3 टन प्रतिदिन एवं किल्न एक्रेशन स्लेग – 0.45 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् स्पंज आयरन प्लांट से डोलोचार – 37.5 टन प्रतिदिन, ऐश – 22.5 टन प्रतिदिन, वेट स्क्रैपर स्लज – 5.75 टन प्रतिदिन एवं किल्न एक्रेशन स्लेग – 1.12 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डोलोचार को एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐश को ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। वेट स्क्रैपर स्लज को सड़क निर्माण में उपयोग हेतु एवं ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। किल्न एक्रेशन स्लेग को सड़क निर्माण में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित

कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 60 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सब–सरफेस डीसपर्सन ट्रेंच से किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू–जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू–जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 2 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 1 मीटर एवं गहराई 2 मीटर) निर्मित किया गया है। उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,019 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल 5 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 2 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.4 एकड़ (34.8 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

11. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2019 से आरंभ किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:-

I. Project proponent shall submit land ownership document.
II. Project proponent shall submit copy of NOC from CSIDC for use of surface water. No ground water shall be used for expansion activity.
III. Project proponent shall submit layout ensuring minimum 15 meter wide green belt for along the plant periphery.
IV. Project proponent shall ensure reduction of paticulate matter emmision form 50 mg/Nm^3 to 30 mg/Nm^3 for existing unit.
V. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
VI. Project Proponent shall submit details of STP with zero discharge.
VII. Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

13. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-नवागांव एवं तुता, सेक्टर-24, अटल नगर, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 919)

ऑनलाईन आवेदन- प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 39145/ 2019, दिनांक 12/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण –

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-नवागांव एवं तुता, सेक्टर-24, अटल नगर, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 23/1, 32/2, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 76/1,

76/2, 77, 79, 80, 81, 87, 88, 250/1, 250/2, 493/6, 493/7, 493/8, 493/6, 505, 506, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 508/1, 508/2, 508/3, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/11, 511/12, 512/1, 512/2, 513, 514, 526/2, 526/3, 526/4, 526/7, 531/2, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 532, 533/5, 533/8, 541, 542, 543/1, 543/2, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 548, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 549/9, 549/10, 549/11, 549/12, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 553, 598/4, 599, 600, 602/1 एवं 602/2 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स (गोल्फ कोर्स) प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल – 5,61,723.6 वर्गमीटर (56.17 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टी.ओर.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 65 लाख होगा।

2. **विकास अनुज्ञा** – संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 5228, दिनांक 14/06/2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी किया गया है। तत्पश्चात संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 13474, दिनांक 22/11/2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु संशोधित विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)
1.	Total Land Available	5,61,723.6
2.	Golf Course	3,78,539.8
3.	Golf Parking and Roads	31,160.2
4.	Admin Building and Club House	20,998.94
5.	Parking [Admin Building and Club]	3,221.97
6.	Residential Area	84,139.8
7.	OSR	13,008.15
8.	Residential and Commercial Roads	2,5091.4
9.	Commercial	5,563
10.	**Total construction area**	**5,61,723.6**

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा विकास अनुज्ञा में वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/09/2019 द्वारा सूचना दी गई है कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/10/2019 को सूचना दी गई कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पर त्रुटि होने के कारण पुनः आवेदन किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड (प्रो.–श्री संदीप शर्मा), ग्राम–चिरहुलडीह, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 962)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 119713/ 2019, दिनांक 28/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 239/1, 239/5, 239/6, 422 (424/2, 425, 426), 423, 424/3, 427 एवं (मुख्यमंत्री आबादी पट्टा 13/1, 13/2 एवं 13/3), ग्राम–चिरहुलडीह, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट में बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 7,642 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 15,550.48 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न-स्थिति पाई गई:-

1. आवेदन बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 7,642 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 15,550.48 वर्गमीटर है।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 27/06/2019 को जारी संशोधित विकास अनुज्ञा ज्ञापन क्रमांक 29602/नग्रानि/धारा–'30'/पीएल–03 के अनुसार कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 15,550.48 वर्गमीटर है।
3. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर में संशोधित विकास अनुज्ञा में उल्लेखित बिल्टअप क्षेत्रफल के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन किया गया है।
4. ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान अनुसार बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिनका बिल्टअप क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक है, को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 15550.48 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। अतः ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुसार उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। अतः परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के कारण आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), ग्राम–कुरूद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 899)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37416/2019, दिनांक 07/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) दिनांक 28/04/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशा.) वास्ते कलेक्टर एवं सहायक खनिज अधिकारी, रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 536, रायपुर, दिनांक 30/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, ऐनीकट, वाटर सप्लाई स्कीम, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती राजश्री साहू, सरपंच एवं श्री नरेन्द्र पटेल, सचिव, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) तथा श्री रोहित साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

2. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुरूद 1.75 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–कुरूद 1.75 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–समोदा 7.70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.6 कि.मी. दूर है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौडाई – 1150 मीटर तथा खनन स्थल की चौडाई – 163.93 मीटर दर्शाई गई है।

5. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जाने हेतु निर्देश दिए गये।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 5 मीटर है।

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

12. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

13. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(द) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री द्वारिका प्रसाद साहू, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री एच.के. मारवाह, खनि अधिकारी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा समिति के समक्ष निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये:-

   i. खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-7/2004/12 दिनांक 2 मार्च 2006 के द्वारा "छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन निर्देश, 2006" जारी किया गया था। इसके अनुसार राज्य में "संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय जिसके क्षेत्र में रेत खदान स्थित है, को रायल्टी भुगतान कर गौण खनिज रेत का उत्खनन किया जा सकेगा। संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय रायल्टी का संग्रहण तथा रेत खदानों की व्यवस्था स्वतः करेगी, इस कार्य को ठेके पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा" का प्रावधान था।

   ii. खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2019 के द्वारा राज्य में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" बनाया गया है। इस नियम में रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्सन) के माध्यम से प्राप्त अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

   iii. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/नि.रेत (रिवर्स बिडिंग)/2019/2122 रायपुर, दिनांक 03/10/2019 द्वारा श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क./ख.लि./तीन-6/रेत/2019/2147 रायपुर, दिनांक 09/10/2019 द्वारा पर्यावरण अनुमति को श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी गया है।

   v. अतः सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) द्वारा वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन को एल.ओ.आई. धारक (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. पूर्व में दिए निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाया जाना बताया गया है। इसके प्रामाणिकरण बाबत् फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.40.77	2%	Rs. 0.815	Following activity at Nearby Goverment School	
			Rain water harvesting	Rs. 0.815
			Total	**Rs. 0.815**

सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाना बताया गया।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एल.ओ.आई. धारक श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित किये जाने के अनुरोध को मान्य किया गया।

2. आवेदित खदान (ग्राम–कुरूद) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत्

सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से **श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से** खसरा क्रमांक 2742, ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से खसरा क्रमांक 2742, ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

16. मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 795)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33508/2019, दिनांक 23/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित वन कक्ष क्रमांक 641 एवं 642, कुल क्षेत्रफल – 75 हेक्टेयर में है। परियोजना प्रस्तावक क्षमता विस्तार के तहत् खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Above threshold value, +45% Fe) एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Below threshold value,

-45% Fe which is part of overburden)) तथा आयरन ओर अपशिष्ट का उपयोग करने हेतु न्यू आयरन ओर बेनिफिशिऐशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर एवं श्री सरत कुमार आचार्य, वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 21/02/2018 द्वारा आयरन ओर उत्खनन क्षमता – 0.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. **उत्खनन योजना** – रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान, प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक कांकेर/लौह/खयो/1191/2018, रायपुर दिनांक 28/02/2019 (अवधि 2019–20 से 2023–24 तक) द्वारा अनुमोदित है।
3. एल.ओ.आई. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन दिनांक 10/11/2014 द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 762/खनिज/एम.एल. 51/2003 कांकेर, दिनांक 27/12/2014 द्वारा लौह–अयस्क खनिपट्टा क्षेत्र पर उत्खनन एवं भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 295/खनिज/ख.प., 2014 कांकेर, दिनांक 07/07/2018 द्वारा क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर में से 12 हेक्टेयर क्षेत्र पर भू–प्रवेश एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–हाहालद्दी 1.7 किलोमीटर एवं ग्राम–चचड़ 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भानुप्रतापपुर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58.5 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 18.5 किलोमीटर दूर है। खण्डी नदी 8.3 किलोमीटर दूर है। मिचगांव लोहतार आरक्षित वन लगा हुआ है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S No.	Land use Category	Land use (in hecater)
1.	Area Under Mine Pit	29.38
2.	Area Under Waste Dump	10.13
3.	Area for Mining - Road	2.70
4.	Afforestation	3.89
5.	Infrastructure	0.05
6.	Stock Yard	3.10
7.	Processing plant	0.19
8.	Area un-used	25.56
	Total	**75.0**

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 87 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार उपरांत जल की मात्रा कुल 400 घनमीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन हेतु 83 घनमीटर प्रतिदिन, प्लांट 280 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू 17 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – बेनिफिसीऐशन प्लांट से उत्पन्न दूषित जल 110 घनमीटर प्रतिदिन को थिकनर से रिसाईकलिंग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 14 घनमीटर प्रतिदिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

10. माईनेबल रिजर्व 5.396 मिलियन टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौडाई 12 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

विगत वर्षो की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2014–15	96,000	85,930
2015–16	2,57,814	1,19,999
2016–17	4,99,012	2,49,998.8
2017–18	6,00,000	3,31,787.11
2018–19	6,00,000	5,30,300 (जनवरी, 2019)

आगामी वर्षो की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2019–20	8,00,000
2020–21	10,00,000
2021–22	10,00,000
2022–23	10,00,000
2023–24	10,00,000

11. आयरन ओर उत्पादन के लिए स्क्रीनिंग एवं क्रशिंग हेतु माईनिंग लीज एरिया के अतंर्गत स्क्रीन/क्रशर से परिवहन का कार्य किया जाता है। आयरन ओर को स्पंज आयरन प्लांट बोरझरा/ तिल्दा डिविजन तथा फाईन मटेरियल को पैलेट प्लांट तिल्दा को भेजा जाएगा।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्षेत्रफल 3.89 हेक्टेयर में 2,500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़) का रकबा 75 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी–1 श्रेणी की है। यह प्रकरण खनन क्षमता विस्तार के अलावा न्यू आयरन ओर बेनिफिशिऐशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना का है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिऐशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project Proponent shall submit the permission of DGMS for blasting.

iii. Project proponent shall submit compliance status of previous Environment Clearance from Regional office, MoEF & CC, Nagpur.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit NOC from Forest Department for Installation of New Iron Ore Benification Plant.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. CER proposals with details of works and detail estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/10/2019 को संपन्न 88वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने पत्र दिनांक 09/10/2019 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के समक्ष टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुतीकरण में बताया गया था कि वर्ष 2016–17 (Winter season) में बेसलाईन डाटा एकत्रित किया जाकर तत्समय ई.आई.ए. रिर्पोर्ट तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उक्त बेसलाईन डाटा को 03 वर्ष नहीं होने के कारण आवेदित प्रकरण पर पुनः बेसलाईन डाटा एकत्रित किए जाने से छुट दिए जाने का अनुरोध की गया था। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में उक्त अनुरोध को अमान्य किए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रकरण पर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु वर्ष 2016–17 (Winter season) में लिए गए बेसलाईन डाटा को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र को समिति के समक्ष विचार कर उपयुक्त अनुशंसा करने बाबत् प्रेषित किया जाए।

समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र का समिति द्वारा का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रकरण पर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु वर्ष 2016–17 (Winter season) में लिए गए बेसलाईन डाटा को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु वर्ष 2016–17 (Winter season) में लिए गए बेसलाईन डाटा का उपयोग कर, तैयार फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट इस शर्त पर मान्य होगी कि जब बेसलाईन डाटा की अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ हो तथा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ आवेदन उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई हो।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिऐशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit the permission of DGMS for blasting.
   ii. Project proponent shall submit compliance status of previous Environment Clearance from Regional office, MoEF & CC, Nagpur.
   iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
   iv. Project proponent shall submit NOC from Forest Department for Installation of New Iron Ore Benification Plant.
   v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
   vi. CER proposals with details of works and detail estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"खदान प्रारंभ करने के पश्चात् उद्योग द्वारा समय–समय पर किये गये मॉनिटरिंग कार्यों (जल गुणवत्ता, परिवेशीय वायु गुणवत्ता आदि) का समावेश करते हुए पर्यावरण

के विभिन्न अवयवों पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन कर, ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाए।"

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3 **रेत खदानों के एल.ओ.आई. धारकों (अधिमानी बोलीदार) द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाना।**

रेत खदानों के एल.ओ.आई. धारकों (अधिमानी बोलीदार) द्वारा पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पर्यावरणीय स्वीकृति नामांतरण हेतु आवेदक का नाम एवं पता	रेत खदान समूह एवं समाहित रेत खदान	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण						कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी एल.ओ. आई. का विवरण	कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण
			ग्राम पंचायत का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर)	जारी दिनांक	वैधता	क्षमता (घनमीटर प्रतिवर्ष)/ नदी का नाम		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
						जिला–गरियाबंद				
1	अमित एजेंसी, प्रो आशीष अग्रवाल सतोषी नगर, रायपुर	गरियाबंद A	पुरना पानी	01	4.10	एस.ई.आई.ए.ए. छ.ग. के ज्ञापन क्र. 819, दिनांक 28/09/2019	27/09/2020	20,500 / तेल नदी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), गरियाबंद के ज्ञापन क्र. 576 दिनांक 05/10/2019	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद के ज्ञापन क्र. 585 दिनांक 10/10/2019
2	श्री रितेश बजाज शंकर नगर, रायपुर	गरियाबंद B	परसौद	373	4.8	एस.ई.आई.ए.ए. छ.ग. के ज्ञापन क्र. 817, दिनांक 28/09/2019	27/09/2020	24,000 / सुखा नदी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), गरियाबंद के ज्ञापन क्र. 578 दिनांक 05/10/2019	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद के ज्ञापन क्र. 583 दिनांक 10/10/2019

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरणों पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 09/10/2019 को संपन्न 88वीं बैठक में तत्समय समान प्रकरणों पर गहन चर्चा उपरांत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को आवेदकों (एल.ओ.आई. धारकों) के नाम पर हस्तांतरण किए जाने का निर्णय लिया गया था।

प्राधिकरण के पूर्व निर्णय अनुसार विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 07 में वर्णित पर्यावरणीय स्वीकृति को सरल क्रमांक 02 में वर्णित आवेदकों (एल.ओ.आई. धारकों) के नाम पर हस्तांतरण निम्नलिखित के अधीन किए जाने का निर्णय लिया गया:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता हेतु मान्य होगी।
2. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त में उल्लेखित अवधि के भीतर रेत पुनःभरण अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित निबंधनों और शर्तों का पालन आवेदकों (एल.ओ.आई. धारकों) द्वारा सुनिश्चित की जाए।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को आवेदकों (एल.ओ.आई. धारकों) के नाम पर हस्तांतरण करने बाबत् तदाशय का पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संगीता पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(भोगी लाल सरमे)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़